

# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं. 0755-2552899 ई-मेल mpprd.finance@mp.gov.in

= आदेश =

भोपाल, दिनांक /09/2019

क्रमांक/बजट/2019-20/

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये योजना क्रमांक-

4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद प्रावधानित राशि में से विभिन्न निर्माण कार्य हेतु संचालनालय के आदेश क्रमांक/पं.रा./निर्माण-82/2019/ 11939-40, दिनांक 18.09.2019 एवं क्रमांक/पं.रा./निर्माण-82/2019/11941-42, दिनांक 18.09.2019 से द्वितीय किश्त की राशि जारी करने हेतु स्वीकृति की गयी हैं। तदनुसार स्वीकृति के तारतम्य में राशि रूपये 61609300/- (राशि रूपये-छः करोड़ सौलह लाख नौ हजार तीन सौ मात्र) के आहरण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय मांग संख्या-53-शीर्ष-3604-स्थानीय निकायो तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-{197-जनपद पंचायत को सहायता}-योजना क्रमांक-(4610)-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान-0102-अनुसूचित जनजाति(सब स्कीम)-#42-सहायक अनुदान-008-राज्य शासन द्वारा उदग्रहित और संग्रहित कर आदि का स्थानीय निकायों को समनुदेशन, के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

राशि का आहरण किया जाकर संलग्न सूची अनुसार जिला पंचायतों के बैंक खाता में राशि अंतरित किया जाना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक(वित्त)

पंचायत राज संचालनालय

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27/09/2019

पृ0क्रमांक/बजट/2019-20/ 12455

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
- 2 उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय) म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 3 अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, पं0ग्रा0वि0विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 4 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश भोपाल।
- 6 संयुक्त संचालक(निर्माण) पंचायत राज संचालनालय की ओर उनके आदेश क्रमांक/पं.रा./निर्माण-82/2019/11939-40, दिनांक 18.09.2019 एवं क्रमांक/पं.रा./निर्माण-82/2019/11941-42, दिनांक 18.09.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 7 आहरण एवं संवितरण अधिकारी पंचायतराज संचालनालय म.प्र.की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8 वरिष्ठ कोषालय अधिकारी विन्ध्यांचल भवन, भोपाल म.प्र.।
- 9 निज सहायक आयुक्त पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।

संयुक्त संचालक(वित्त)

पंचायत राज संचालनालय


मध्यप्रदेश

## पंचायत राज संचालनालय म.प्र.भोपाल

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना क्रमांक-4610(197)0102-स्टाम्प शुल्क मद से ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, पुलिया निर्माण, बाउण्ड्रीवाल एवं गेट निर्माण, घाट निर्माण, रपटा निर्माण, स्टाप डेम एवं पुलिया निर्माण, सी.सी.रोड निर्माण हेतु द्वितीय किशत के लिए संबंधित जिला पंचायतों को राशि जारी किये जाने हेतु राशि का वितरण।

(राशि रूपये में)

| S No.   | District Name | Account No  | IFSC Code   | Amount   |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|
| 1   | DAMOH         | '3618159469 | CBIN0282157 | 59809300 |
| 2   | CHHINDWARA    | '3618053723 | CBIN0280750 | 1800000  |
| योग(राशि-छः करोड़ सौलहं लाख नौ हजार तीन सौ मात्र) |               |             |             | 61609300 |

  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
म.प्र.भोपाल